

30.5.24

FORM NO. III  
फर्दअहकाम  
( नियम- 26 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर गुडामालानी-बाड़मेर

प्राथीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. भगाराम पुत्र दानाराम वगैरा जाति जाट निवासी खारडी वेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर		1. अजाराम पुत्र जीयाराम वगैरा (26/27) 27. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार नौखडा

किरम मुकदमा.....धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0न0।07/2024

—:प्रार्थना-पत्र चैकलिस्ट:—

आज दिनांक 06.05.2024 को प्राथीगण भगाराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री चिमनसिंह चौधरी द्वारा विप्राथीगण अजाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट निम्न प्रकार है -

क.स.	विवरण	हां/नहीं	विशेष विवरण
1.	क्या प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ?	हां	
2.	क्या प्रार्थना पत्र पर्याप्त मुद्रांक पर है ?	हां	
3.	क्या उचित संख्या में तलवाना नोटिस मय प्रार्थना पत्र प्रति मय कोर्ट फीस के पेश किये हैं ?	हां	पक्षकारान के अनुपाल में आवेदन की प्रति संलग्न नहीं है।
4.	क्या प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है ?	हां	
5.	क्या प्रार्थना पत्र में सीमाओं को लेकर जिन पक्षकारों से विवाद है उनको पक्षकार बनाया गया है ?	हां	
6.	क्या प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का सम्पूर्ण नाम, वलिव्यत, पूर्ण पता पिनकोड सही रूप में अंकित किया गया है ?	हां	पिन कोड अंकित नहीं
7.	क्या प्रार्थना पत्र के साथ हाल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?	हां	
8.	क्या प्रार्थना पत्र के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट (जिसमें सीमाओं को लेकर विवाद है) संलग्न है ?	हां	
9.	क्या प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज किया जाना उचित है ?	हां	



(सोहनलाल)


राजस्व अहलमद

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

प्रकरण दर्ज होकर अप्राथीगण जरिये नोटिस तलब हो।

 6/5/24





6/5/24

**फर्द अहकाम**  
**अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी**  
**मुकाम-गुड़ामालानी**

अज्जराम	बनाम	अज्जराम
जीसीएमएस संख्या	२०२५/१५८	किस्म मुकदमा
		१११-१२८ RLR Act.
तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
०६/०५/२५	<p>पत्रावली काउ चेक हुई। वकील शर्मा उर्फ ०। वकील शर्मा अज्जराम के समक्ष रि. ३०३० द्वारा भेजकर शेक डिपोट चेक करने का एक नोट भेजकर पावती है। नकल रि. जाकर पत्रावली रि. ६/०५/२५ को भेजा है।</p>	
०६/०६/२५	<p>पत्रावली काउ चेक हुई। वकील शर्मा उर्फ ०। वकील शर्मा के प्रकरण विद्रोह कर जस्टिस विद्रोह स्कारिज करने का विवेक किया। वकील शर्मा द्वारा प्रकरण विद्रोह किये जाने के स्कारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय सुनार होकर दाखिल स्फार है।</p>	<p>विद्रोह</p>